न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/85

छोटूलाल आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा आयु 45 वर्ष निवासी बक्शपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. शम्भू आत्मज पन्नालाल जाति मीणा निवासी बक्शपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. पाली बाई पुत्री पन्ना जाति मीणा निवासी ग्राम दोबडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. घनश्याम बाई पुत्री पन्नालाल जाति मीणा निवासी ग्राम दोबडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. रामकल्याण आत्मज शम्भूदयाल जाति मीणा निवासी बक्शपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. रामभरोस आत्मज पन्ना लाल जाति मीणा निवासी बक्शपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
7. नायब तहसीलदार साहब, तहसील मण्डाना जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट्स की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 19.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रामभरोस रेस्पोडेन्ट क्रम 5 एवं वादी क्रम 2 अपीलान्ट छोटूलाल ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 88 के अन्तर्गत ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1253/1757 रकबा 1.32 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1475 रकबा 1.20 हैक्टर कुल रकबा 2.52 हैक्टर के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 के पिता पन्ना लाल जी थे जिनका निधन दिनांक 07.09.2013 को गया है । उनकी मृत्यु के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं । प्रतिवादी क्रम 4 ने पन्ना लाल जी का मानसिक संतुलिन बिगड जाने का फायदा उठाते हुए

दिनांक 28.06.2013 को उप पंजीयक कार्यालय में एक वसीयत का पंजीयन करवा लिया । प्रतिवादी कम 4 को उक्त कूट रचित फर्जी वसीयत से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी कम 4 के विरूद्ध इस आशय की घोषणा एवं निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण कल 5 से 6 उक्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में फर्जी वसीयत के आधार पर इन्तकाल नहीं खोलें ।

4. प्रतिवादी कम 1 व 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 2 छोटूलाल अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 के पुत्र रामकल्याण के पक्ष में गलत तथ्यों के आधार पर व गलत दस्तावेजात के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने हाल जमाबन्दी के आधार पर निर्णय पारित किया है जो गलत है । जमाबन्दी के आधार पर कोई टाईटल व स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता । केवल मात्र जमाबन्दी स्वत्व का निर्धारण नहीं कर सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 05 नियम 02 सीपीसी की पूर्ण रूप से पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी थी । इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की जानकारी नहीं हुई । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.01.2018 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की अपील प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा पेश किया गया था । प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किये लोक अदालत में निर्णित किया है । पक्षकारों की कोई सहमति नहीं थी, कोई राजीनामा नहीं हुआ था, सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की उपस्थिति में निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 व 4 ने जवाबदावा पेश किया । जवाबदावा पेश होने के उपरान्त पत्रावली प्रतिवादी कम 2 और 3 के जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान में से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश किया और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थिति होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात पर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणागवुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए । सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा